न्यायालय: सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

वाद: [illegible] बनाम: [illegible]

वाद सं.: 12/2024

25/6/24

वाद पेश हुआ। पार्टी की ओर से वकील श्रीवास्तव पेश हाजिर। पेशगी मालगुजारी लिखित कराई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया। नोटिस तलब करें। वाद पत्र को आदेश नोटिस तलब करें। वाद पत्र [illegible] दिनांक 27/6/24 को पेश करें।

27/6/24 पत्रावली पेश हुई। वाद अभिभाषकगण से कार्य स्थगित करने कहा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 30/6/24 को पेश हो।

30/6/24 पत्रावली पेश हुई। वकील पार्टी/प्रतिवादी द्वारा पेशगी अधिकारी सूचना वाद पत्र से व्यवस्था है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 26/8/24 को पेश हो।

26/8/24 पत्रावली पेश हुई। वकील पार्टी/प्रतिवादी द्वारा पेशगी अधिकारी सूचना वाद पत्र से व्यवस्था है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20/8/24 को पेश हो।

20/8/24 पत्रावली पेश हुई। वकील पार्टी/प्रतिवादी द्वारा पेशगी अधिकारी सूचना वाद पत्र से व्यवस्था है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18/10/24 को पेश हो।

18/10/24 पत्रावली पेश हुई। कोई पार्टी अनुपस्थित। न्यायालय समय के बाद-बाद आगत स्थगन पर भी न्यायालय के उपस्थित नहीं। अतः पत्रावली अग्रिम पेशी अस्थायी के स्थगित की जाती है। पत्रावली पेशकार हुजूर होकर नकल लेकर दाखिल फाइल हो।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

यह फैसला आज दिनांक 18/10/24 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर